प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-01.07.2025
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मूड़घाट के पास एक शिक्षक को मार-पीट कर हत्या का प्रयास करने के संबंध में दिनांक-28.06.2025 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-231/2025 धारा-109, 352, 351(3) BNS से संबंधित अभियुक्त **1-**पुष्पांग उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय एवं **विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त 2-**अभिषेक मिश्रा पुत्र शिवरोहन मिश्रा को दिनांक-01.07.2025 को समय करीब 11:45 बजे बड़ेवन सर्विस लेन से गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- पुष्पांग उपाध्याय पुत्र राजेश कुमार उपाध्याय उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम रैजल थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती हाल मुकाम अमहट मंदिर थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

2- अभिषेक मिश्रा पुत्र शिवरोहन मिश्रा उम्र 24 वर्ष निवासी सिविल लाइन पी0डब्लू0डी0 डाक बंगला थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-28.06.2025 को थाना कोतवाली पर दिव्यांशु मणि तिवारी पुत्र सुभाष मणि तिवारी निवासी मूड़घाट चौराहा थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक-27.06.2025 को समय करीब 18:30 बजे मेरे पिताजी जोकि पेशे से शिक्षक है एवं पढ़ाने के उपरांत बाजार से सब्जी लेकर घर की तरफ लौट रहे थे कि मूड़घाट के पास एक अज्ञात वाहन मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्ति पीछे से आकर पिता जी की मोटर साइकिल में भिड़ा दिए जिनसे पूछने पर दोनों व्यक्ति मेरे पिता जी को माँ-बहन की गाली देते हुए फोन करके कुछ और लड़को को बुला लिए जिनमें **1-**आदित्य मिश्रा पुत्र शिवरोहन मिश्रा **2-**पुष्पांग उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय व अन्य 02 अज्ञात व्यक्ति जिनको हम नहीं जानते है, सभी एक साथ जान लेने की मकसद से एक जुट होकर ईट एंव डण्डे से पिताजी के सिर व शरीर पर प्रहार कर पिता जी को मरणासन्न कर दिए, जहां जब हम सभी पहुंचे तो पिताजी को मरा हुआ जानकर जान से मारने धमकी देते हुए भाग गये, जिस पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-231/2025 धारा 109, 352, 351(3) पंजीकृत कर **2-**पुष्पांग उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय **एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त** अभिषेक मिश्रा पुत्र शिवरोहन मिश्रा को दिनांक-01.07.2025 को समय करीब 11:45 बजे बड़ेवन सर्विस लेन से गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त 1-पुष्पांग उपाध्याय का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0-121/2021 धारा-147, 323, 427, 452, 504, 506 IPC व धारा-7 दंडविधिक (संशोधन) अधिनियम 2013 थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

2- मु0अ0स0-123/2024 धारा 323, 504, 506 IPC थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

3- मु0अ0स0-187/2019 धारा 323, 504, 506 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

4- मु0अ0सं0-231/2025 धारा 109, 352, 351(3) BNS थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

अभियुक्त अभिषेक मिश्रा का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 231/2025 धारा 109,352,351(3) BNS थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

गिरफ़्तार करने वाली पुलिस-

1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दिनेश चन्द्र चौधरी जनपद बस्ती |

2- प्रभारी चौकी बड़ेवन उ0नि0 विवेकानन्द तिवारी, प्रभारी चौकी गांधीनगर उ0नि0 विश्वमोहन राय, प्रभारी चौकी सिविल लाइन उ0नि0 अजय सिंह थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

3- हे0का0 शैलेश शर्मा, का0 राम सिंह, का0 शैलेन्द्र यादव थाना कोतवाली जनपद बस्ती |